**श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2016 को पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—**

दिनांक 23.11.2016 को पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना नगर निगम के अन्य प्रभारी पदाधिकारी/अभियंता तथा संबंधित विभागीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि सम्पत्ति कर का संग्रहण पटना नगर निगम एवं अन्य निकायों में लक्ष्य से कम हो पा रहा है। कुछ राज्यों जैसे—झारखंड में सम्पत्ति कर का संग्रहण आउटसोर्स के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें न्यूनतम लक्ष्य से 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है। यह निर्णय हुआ कि पटना नगर निगम इस संबंध में झारखंड राज्य से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और अध्ययन करके पटना नगर निगम में पॉयलट आधार पर इसे लागू करने पर विचार किया जाय।

3. पटना नगर निगम के प्रभारी पदाधिकारी श्रीमती आरती द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि SECC की सूची उपलब्ध नहीं रहने के कारण HFA योजनांतर्गत लाभार्थियों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है। विभाग में कार्यरत SLTC कर्मी श्री मुकेश कुमार द्वारा बताया गया कि HFA योजना के डी०पी०आर० के साथ SECC की सूची सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दी गयी है। SLTC कर्मी श्री मुकेश को निर्देश दिया गया कि वे पटना नगर निगम में जाकर HFA योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई का निराकरण कराएंगे।

4. पटना नगर निगम में कार्यरत PMC (NULM) के CMMU कर्मी, जिनकी अनुपस्थिति विवरणी पटना नगर निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मानदेय का भुगतान अवरूद्ध है, उनके संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर PMC (NULM) को संसूचित कर दिया जाय।

5. प्रतिवेदित हुआ कि पटना नगर निगम में HFA, RAY, NULM, SBM आदि योजनाओं की प्रगति अत्यंत ही निराशाजनक है। पटना नगर निगम के प्रभारी पदाधिकारी श्रीमती आरती को निर्देश दिया गया कि वे इन योजनाओं को सकारात्मक तौर पर कार्यान्वित करें।

6. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में पटना नगर निगम के किसी भी पदाधिकारी द्वारा यदि शिथिलता बरती जा रही है तो जिम्मेदारी निर्धारित करके तत्काल विभाग को सूचित किया जाय ताकि उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इससे बैठक में उपस्थित पटना नगर निगम के सभी पदाधिकारियों/अभियंताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया।

7. पटना नगर निगम में भवनों के नक्सा स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन के लंबित रहने की विवरणी यथा माह में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितना निष्पादित हुआ, कितने आवेदन 60 दिनों एवं

90 दिनों से अधिक की अवधि से लंबित हैं, के संबंध में प्रतिवेदन पटना नगर निगम द्वारा विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर सेवा लिये जाने के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में नगर निकायों में समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के कर्मियों की सेवा लिये जाने संबंधी दिशानिर्देश प्रारूप तैयार कर संचिका में उपस्थापित किया जाय ताकि नगर निकायों द्वारा उनकी सेवा ली जा सके। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/11/2016

**(चैतन्य प्रसाद),**
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 8679 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25.11.16

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम/प्रभारी पदाधिकारी, श्रीमती आरती कुमार, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2016

**प्रधान सचिव**

ज्ञापांक– 8679 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25.11.16

प्रतिलिपि :– सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री भरत झा, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/11/2016

**प्रधान सचिव**